Rajasthan Police

कार्यालय पुलिस उपायुक्त,
जोधपुर पूर्व

@dcpeastjodhpur

Dcp Jodhpur East

।। प्रेस नोट ।।

दिनांक :— 03.03.2023

धारा 122 द.प्र.सं. के तहत 2 सक्रिय अपराधियों को भिजवाया गया जैल

- **हिस्ट्रीशीटर अर्जुन उर्फ बिट्टू एवं रोहित वाल्मीकी के विरूद्ध धारा 122 दप्रसं. की कार्यवाही।**
- **दोनों हिस्ट्रीशीटरों के विरूद्ध आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज होने पर धारा 122 द.प्र.सं. के तहत वारण्ट जारी करवाकर गिरफ्तार कर भिजवाया जैल में**
- **थानाधिकारी रातानाड़ा एवं उनकी टीम को इस उत्कृष्ट कार्यवाही पर किया गया सम्मानित।**

कार्यवाही पुलिस :—

श्रीमान् रविदत गौड पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय जोधपुर के निर्देशानुसार आयुक्तालय जोधपुर में बढते अवैध हथियारों की रोकथाम हेतु मन् पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व के निर्देशन में जिला पूर्व में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके दौरान हिस्ट्रीशीटर अर्जुन उर्फ बिट्टू एवं रोहित वाल्मीकी के विरूद्ध पाबंद अवधि के दौरान आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज होने पर दोनों के विरूद्ध धारा 122 द.प्र.सं. का इस्तगासा पेश किया गया। इसमें विशेष सहयोग करने वाले स्टाफ व थानाधिकारी सत्यप्रकाश को उत्साहवर्धन हेतु सम्मानित किया गया।

पुलिस थाना रातानाड़ा के हिस्ट्रीशीटर अर्जुन उर्फ बिट्टू पुत्र श्री प्रहलाद जाति वाल्मीकि उम्र 27 साल निवासी मकान नं 17 हरिजन बस्ती रातानाडा पुलिस थाना रातानाडा जोधपुर पूर्व द्वारा संज्ञेय अपराध करने की कोशिश पर दिनांक 13.09.2022 को धारा 107, 151 सीआरपीसी के तहत श्रीमान के न्यायालय मे इस्तगासा पेश किया गया जिसमें गैरसायल को दिनांक 11 माह के लिये पाबंद किया गया था। दौराने पाबंदशुदा अवधि में अप्रार्थी के विरूद्ध थाना हाजा पर दिनांक 23.10.2022 को प्रकरण संख्या 347/23.10.2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज होकर नतीजा चालान नं 153/31.10.2022 कता कर पेश न्यायालय किया गया। अप्रार्थी ने पाबंदशुदा अवधि के दौरान अपराधकारित कर न्यायालय में पेश बंधपत्र की शर्तो का उल्लंघन करने पर गैर सायल के विरूद्ध धारा 122 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तारी वारन्ट जारी करवाकर दिनांक 20.02.2023 को गैर सायल को गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश कर दिनांक 21.08.2023 तक के लिये न्यायिक अभिरक्षा (जैल) में भिजवाया गया। इसके विरूद्ध कुल 10 प्रकरण दर्ज है।

इसी प्रकार पुलिस थाना रातानाड़ा के ही हिस्ट्रीशीटर रोहित पुत्र श्री प्रहलाद जाति वाल्मीकि उम्र 21 साल निवासी मकान नं 17 हरिजन बस्ती रातानाडा पुलिस थाना रातानाडा जोधपुर पूर्व द्वारा संज्ञेय अपराध करने की कोशिश पर दिनांक 14.09.2022 को धारा 107, 151 सीआरपीसी के तहत श्रीमान के न्यायालय मे इस्तगासा पेश किया गया जिसमें गैरसायल को 6 माह पाबंद कर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया था। दौराने पाबंदशुदा अवधि में अप्रार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना रातानाड़ा पर दिनांक 22.10.2022 को प्रकरण संख्या 346/22.10.2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज होकर नतीजा चालान नं 152/31.10.2022 कता कर पेश न्यायालय किया गया। अप्रार्थी ने पाबंदशुदा अवधि के दौरान अपराध कारित कर न्यायालय में पेश बंधपत्र की शर्तो का उल्लंघन किया है। जिस पर गैर सायल के विरूद्ध धारा 122 सी.आर.पी.सी. के तहत कार्यवाही की गई। इसी क्रम में न्यायालय से गिरफ्तारी वारन्ट जारी करवाकर दिनांक 20.02.2023 को गैर सायल को गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश कर दिनांक 14.03..2023 तक न्यायिक अभिरक्षा (जैल) में भिजवाया गया। उक्त हिस्ट्रीशीटर के विरूद्ध कुल 06 प्रकरण दर्ज है।

श्री सत्यप्रकाश नि.पु. थानाधिकारी पुलिस थाना रातानाड़ा एवं उनकी टीम को इस उत्कृष्ट कार्यवाही पर कार्यालय में सम्मानित किया गया।

कार्यवाही में सम्मिलित टीम :—

1. श्री सत्यप्रकाश नि.पु. थानाधिकारी पुलिस थाना रातानाड़ा
2. श्री हरीराम हैडकानि. 1140, पुलिस थाना रातानाड़ा
3. श्री विकास कानि. 2772 पुलिस थाना रातानाड़ा

पुलिस उपायुक्त
जोधपुर पूर्व

03 03 2023

कार्यालय पुलिस अधीक्षक
जिला-जोधपुर
03 03 2023

जोधपुर
03 03 2023